न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री नवनीत कुमार, आई. ए. एस.

राजस्व अपील/225/रा.का.अधि./41/2025/बाड़मेर

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेंटगण
1. गेनसिंह पुत्र प्रागसिंह 2. नारायणसिंह पुत्र प्रागसिंह नखतसिंह पुत्र अर्जुनसिंह के का. मु. – 3. झबरसिंह पुत्र नखतसिंह 4. शेरसिंह पुत्र नखतसिंह 5. नरेन्द्रसिंह पुत्र नखतसिंह 6. कलकंवर पत्नी नखतसिंह, जाति राजपुत, निवासी लक्ष्मणसर, तहसील फतेहगढ़, जिला जैसलमेर।		1. हडवन्तसिंह पुत्र मोडसिंह, जाति रापजुत, निवासी लक्ष्मणसर, तहसील फतेहगढ, जिला जैसलमेर। 2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फतेहगढ़ 3. शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखां जैसलमेर।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी, फतेहगढ द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 18/2024 बउनवान हडवन्तसिंह बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 23.07.2025 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थितः–

1. वकील श्री राणाराम गौड़ अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री कपिल चौधरी रेस्पो. संख्या 01 की ओर से।
3. राजकीय अधिवक्ता रेस्पों. संख्या 2 की ओर से उपस्थित।
4. शेष रेस्पों. अनुपस्थित।

–:निर्णयः–

दिनांकः–03.10.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/रेस्पों. द्वारा अपने खातेदारी आराजी जो कि ग्राम लक्ष्मणसर, पटवार हल्का डांगरी, तहसील फतेहगढ के खसरा

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

संख्या 229 रकबा 9.2388 हेक्टेयर भूमि में आवागमन हेतु अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251– ए के अन्तर्गत एक आवेदन पेश किया। उक्त आवेदन में वर्णित किया है कि हमारे पडोस में विप्रार्थीगण 01 से 07 के खातेदारी का खेत एवं राजकीय भूमि में से वैकल्पिक रास्ता पडता है। जिस हेतु रास्ता प्रदान करने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी/रेस्पों. द्वारा अपने खातेदारी आराजी जो कि ग्राम लक्ष्मणसर, पटवार हल्का डांगरी, तहसील फतेहगढ के खसरा संख्या 229 रकबा 9.2388 हेक्टेयर भूमि में आवागमन हेतु अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251– ए के अन्तर्गत एक आवेदन पेश किया। उक्त आवेदन में हमारे पडोस में विप्रार्थीगण 01 से 07 के खातेदारी का खेत एवं राजकीय भूमि में से वैकल्पिक रास्ता पडता है। जिस हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विप्रार्थी संख्या 2, 6 व 7 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जबकि विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध किसी प्रकार का आदेश पारित किया जाता है तो उसे पूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान कर कानूनन प्रक्रिया का पालन करते हुए आदेश पारित किया जाना होता है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि के विहित प्रावधानों से परे जाकर पारित किया गया है। रेस्पों. संख्या 1 द्वारा अपने खातेदारी खेत खसरा संख्या 229 से खसरा संख्या 27 जो रेस्पों. संख्या 1 की रहवासी ढाणी में आवागमन हेतु अपीलकर्ता के खातेदारी खेत खसरा संख्या 25, 354/26, 227 व 228 में से अवस्थिति चलायमान रास्ते को राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने की इस्तदुआ लेते हुए अभिवचन किये गये हैं। जबकि वास्तव में अपीलांट/अप्रार्थी की उक्त खातेदारी खेत में किसी प्रकार का चलायमान रास्ता उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में रेस्पों. संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मंगवाई गई मौका रिपोर्ट को अनुचित रूप से प्रभावित कर पटवार हल्का से वैकल्पिक रास्ता का उल्लेख किये बिना ही, एकपक्षीय मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करवा दी। जबकि अपीलांट की खातेदारी में किसी प्राकर का कोई रास्ता चलायमान विद्यमान नहीं है। उक्त तलब मौका रिपोर्ट में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार को मौका

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

रिपोर्ट बनाने हेतु अधिकृत किया था परन्तु तहसीलदार द्वारा मौका रिपोर्ट नहीं बनाई गई है और न ही भौतिक रूप से वादग्रस्त स्थल का सर्वेक्षण किया गया। तहसीलदार द्वार मौका रिपोर्ट अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के मार्फत कार्यालय में बैठकर तैयार की गई है। मौका रिपोर्ट पर तहसीलदार के प्रतिहस्ताक्षर भी उपलब्ध नहीं हैं। ऐसी स्थिति में मौका रिपोर्ट पूर्णतया एकतरफा तैयार की गई है। मौका रिपोर्ट में वैकल्पिक रास्ते का उल्लेख तक नहीं किया गया है। जबकि विधिनुसार मौका रिपोर्ट में निकटतम एवं वैकल्पिक रास्ते का उल्लेख होना आवश्यक है। रेस्पों. संख्या 1 का खातेदारी खेत खसरा संख्या 229 व खसरा संख्या 27 सडक के निकटतम अवस्थित है। दोनों खेतों में सडक मार्ग के जरिये आसानी से आवागमन किया जा सकता है। परन्तु रेस्पोंः संख्या 1 द्वारा अपीलांट को अनुचित हानि पहुंचाने के लिये अपने उक्त दोनों खेतों के मध्य ही रास्ता स्वीकृत करवाया है। जो रास्ता किसी भी सड़क मार्ग से जुड़ाव नहीं करता है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त समस्त विधिक तथ्यों से परे जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जो विधि द्वारा बाधित है। उक्तानुसार अपीलाधीन आदेश राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–ए की मूल मंशा के विपरीत जाकर पारित किया गया है। उक्तानुसार समस्त कथनों से परे जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पों. संख्या 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश द्वारा राजकीय भूमि में से अपीलाधीन रास्ता स्वीकृत किया गया है। उक्त अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व राज्य सरकार को सुने बिना ही आदेश पारित किया गया है। जिससे सरकार के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। विधि अनुसार राजकीय भूमि में से किसी पक्षकार को रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो सरकार के पक्ष को सुना जाकर एवं अन्य कोई विकल्प नहीं होने की स्थिति में नियमानुसार अग्रिम कार्यावाही संपादित की जा सकती है। जिसका हस्तगत प्रकरण में अभाव प्रतीत होता है। सरकार के पक्ष को सुने बिना ही राजकीय भूमि में से रास्ता स्वीकृत किया है जो विधि संगत नहीं है। संलग्न मौका रिपोर्ट में अन्य वैकल्पिक रास्ते का वर्णन नहीं किया गया है। जिससे मौका रिपोर्ट अपूर्ण मानी जाएगी। विधि अुनसार मौका रिपोर्ट में वैकल्पिक रास्ता एवं निकटतम रास्ते का अंकन करते हुए सबसे सुगम रास्ते को अंतिम रूप से प्रस्तावित

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

किया जाता है। उक्तानुसार उक्त समस्त तथ्यों पर बिना किसी विधिक वर्णन के ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है. जो खारिज किये जाने योग्य है।

रेस्पोडेंट संख्या 1 के अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के नाम जारी सम्मन पर अपीलांट की पर्याप्त तामील करवाई गई। तामील के बाद अप्रार्थी संख्या 3, 4 व 5 जरिये वकालतन अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित आए। शेष अप्रार्थीगण/अपीलांट बावजूद तामील के अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही प्रस्तावित की गई है। जहां तक मौका रिपोर्ट का प्रश्न है उसके संबंध में निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि अनुसार राजस्व कर्मचारियों से तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट चाही गई थी। जिसकों आधार बना कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। उसके बाद केवल मात्र रेस्पों. को परेशान करने की नियत से हस्तगत अपील पेश की गई है जिसका कोई औचित्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोडेण्टस/प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई निकटतम वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। तहसीलदार द्वारा माननीय अधीनस्थ न्यायालय में मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है। तहसीलदार भूमिधारी है तथा यह मानने का कोई कारण नहीं है कि उन्होंने बिना पढ़े ही रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी होगी। रास्ते का कुछ भाग राजकीय है। यदि तहसीलदार राजकीय भूमि नहीं देना चाहते तो रिपोर्ट/पत्र में इसका स्पष्ट अंकन करते। रेस्पोडेंट को उक्त प्रस्तावित रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251– ए में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। राजकीय भूमि में से भी पक्षकार के सुखाचार को ध्यान में रखते हुए रास्ते की आवयकता अनुसार रास्ता स्वीकृत किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील पेश कर प्रकरण को अनावश्यक लंबा किया जा रहा है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश उभयपक्ष की उपस्थिति में मजमे आम में बाद सुनवाई पश्चात पारित किया गया। उसके उपरांत हाजा न्यायालय द्वारा भी

(नव...)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। मौका रिपोर्ट में स्पष्ट अंकन है कि प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। रास्ते की भूमि खाली है। उक्त भूमि माननीय उच्च न्यायालय व अब्दुल रहमान बनाम सरकार वाद के निर्णय से प्रभावित नहीं है।" अपीलाधीन आदेश की पालना में प्रश्नगत रास्ते का राजस्व रेकर्ड में अंकन हो गया है। अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आवेदन एक समरी प्रक्रिया है जिसमें तकनीकी आधार पर प्रकरण का निस्तारण कर रेस्पोडेंटस को मिले रास्ते के वैधानिक अधिकार से महरूम नहीं रखा जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तावित रास्ते के अलावा उक्त खसरे तक पहुंचने हेतु कोई निकटतम विकल्प नहीं है। अपीलांटस द्वारा अपनी अपील में आपत्ति की है कि तहसीलदार स्वयं द्वारा मौका नहीं देखा गया जबकि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के लौट में ऐसे न्यायिक दृष्टांत हैं जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि भू अभिलेख निरीक्षक रैंक के कर्मचारी द्वारा रास्ते के मामले में मौका देखा जाना न्यायसंगत है इसलिए अपीलांट की उक्त आपत्ति में कोई सार नहीं है। रेस्पोडेंटस/प्रार्थी को रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता और अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होने से दिया गया रास्ता विधि सम्मत एवं युक्तिसंगत है। अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए बाद विस्तृत विवेचन दिया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अपीलांटगण की केवल हठधर्मिता के मद्देनजर रेस्पोडेंट/प्रार्थीगण को उसको मिले रास्ते के विधिक अधिकार से वंचित रखना न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी, फतेहगढ द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 18/2024 बउनवान हडवन्तसिंह बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 23.07.2025 को यथावत रखा जाता है।

3/10/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 03.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

3/10/2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर